

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--------------------	--------------------------------------	--

27/01/22

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री शाकर खान H ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 RA Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेसपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/02/22 को पेश हो।

14/02/2022

पत्रावली काज वादीजम वकील के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु तलब की गई। वादीजम उपर दुरा वादीजम की ओर वादीजम वकील द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते विज्ञो मके वाद का पेश कर निवेदन किया कि अत्र प्रकरण में पक्षकारों के मध्य जाव के प्रमाण प्रमाणों ने राजीनामा करा दिया है इसी लिए दृष्ट अत्र वाद को जागे नही चलाना चाहें ही। अतः वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे।

अपाहित में वादीजम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है वाद में जागे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। विज्ञो किया गया है। पत्रावली प्रेषित किया है। पक्षकारों को सूचित है।

नि. जादम  
नि. जादम

दुकान  
रहमान  
पहचान कर्ता  
शा. उ.  
वकील वादीजम



सहायक कलेक्टर (SDO) जोधपुर